संख्या-582/2022/5024/002-08 Budget 2019

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ:: दिनांक 18 नवम्बर, 2022**

विषयः-मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत जनपद बहराइच में गुल्लावीर में महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा के निकट मंच के सामने एक सभागार व एक स्मारक का निर्माण **(परिवर्तित नाम मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत ''जनपद बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण एवं चितौरा झील का विकास'')** की परियोजना हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5757/6-1-1(यू0सी/रा0यो0)/2022-23 दिनांक 11 नवम्बर**,** 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- जनपद बहराइच में गुल्लावीर में महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा के निकट मंच के सामने एक सभागार व एक स्मारक का निर्माण **(परिवर्तित नाम मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत ''जनपद बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण एवं चितौरा झील का विकास'')** परियोजना की प्रशासकीय एवं अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	वित्तीय वर्ष	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति	अवमुक्त धनराशि
1	2021-22	संख्या-104/2021/445/41-2021-08(बजट)/2019**,** दिनांक 08.02.2021	रू0 3949**.**06 लाख (रू0 371.82 लाख जी0एस0टी0 सहित)	रू0 593.00
2	2021-22	संख्या-543/2021**/**4037/41-2021-08**(**बजट)/2019**,** दिनांक 26.10.2021		रू0 654.93
3	2021-22	संख्या-116/2022**/**629/41-2022-08**(**बजट)/2019**,** दिनांक 16.03.2022		रू0 900.38
4	2022-23	संख्या-422/2022**/**2124/2022/001**--**08**(**बजट)/2019**,** दिनांक 08.07.2022		रू0 900.38
			कुल योग	**रू0 3048.69**

उपर्युक्तानुसार प्रायोजना पर कुल अवमुक्त धनराशि रू0 3048.69 लाख में से कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0**,** उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराये जा रहे कुल कार्यों की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

लागत रू0 3601.51 लाख के सापेक्ष रू0 2823.96 लाख अवमुक्त की जा चुकी है तथा कार्यदायी संस्था द्वारा उसके सापेक्ष रू0 2541.02 लाख की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी गयी है। प्रश्नगत प्रायोजना पर उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा रू0 224.73 लाख के कार्य कराये गये हैं।

3- महानिदेशक पर्यटन के सन्दर्भगत पत्र दिनांक 11.11.2022 द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अन्य संगत अभिलेख उपलब्ध कराते हुए प्रश्नगत योजना हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

4- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रश्नगत प्रायोजना की लागत रू0 3949.06 लाख के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि रू0 3048.69 लाख के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 900.37 लाख बचती है, जिसमें से जी0एस0टी0 रू0 371.82 लाख एवं 5 प्रतिशत डिफेक्ट लाइबिल्टीज रू0 178.86 लाख, इस प्रकार कुल रू0 550.68 लाख रोकते हुए अवशेष धनराशि **रू0 349.69 लाख (रू0 तीन करोड़ उनचास लाख उनहत्तर हजार मात्र)** को प्रायोजना के कार्य प्रभावित न होने के दृष्टिगत कार्यहित में इस शर्त के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि प्रायोजना की टेण्डर लागत, 24 बिन्दुओं की सूचना, कराये गये कार्यों की वास्तविक व्यय विवरण एवं अन्य वांछित सूचनाएं उप निदेशक, पर्यटन, अयोध्या मण्डल/कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त सूचना प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रायोजना पर जी0एस0टी0 आदि की धनराशि वास्तविक व्यय के आधार पर अवमुक्त की जा जायेगी।

5- उक्त प्रस्तर-4 में स्वीकृत धनराशि व्यय करने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 08.02.2021, दिनांक 26.10.2021, दिनांक 16.03.2022 एवं दिनांक 08.07.2022 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है तथा निदेशालय द्वारा भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी भी दशा में प्रायोजना की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि का भुगतान न हो तथा निविदा लागत के सापेक्ष लेबर सेस, सेन्टेज, जी0एस0टी0 वास्तविक एवं उक्त के सापेक्ष अन्य मदों का वास्तविक व्यय का नियमानुसार अनुमन्य भुगतान सुनिश्चित किया जाय। प्रायोजना की निविदा लागत व

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अन्य साक्ष्य एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक),अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्थाएवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 3,49,69,000 (रूपये तीन करोड़ उनचास लाख उनहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-044 के लेखाशीर्षक 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

संख्या-582/2022/5024/002-08 Budget 2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त देवीपाटन मण्डल/जिलाधिकारी, बहराईच।
4. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. प्रबन्ध निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबंधक (अयोध्या अंचल), उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
7. महाप्रबंधक (नि-10), कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-3, 4, 5, 6, 7, 9 व 11 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. उप निदेशक, पर्यटन, अयोध्या।
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।